फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

नरेन्द्रलाल बनाम **सन्तोष आदि**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 17/2020 सन–2020

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
11.03.2020	प्रार्थी / सायल की और से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र सायल अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खसरा न0 44 / 1 की 11.1290हैक्ट व रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खसरा न0 344 / 2 , खसरा न0 380 / 3, 381 / 2 की 8.8140हैक्ट भूमि में गैरसायला व सायल अपने अपने हक हिस्सा की भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति जबाब पेश होने तक बनाई रखी जावे। रास्ते खाला पर स्थगन आदेश लागू नही होगा। यदि इस सम्बध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निधार्रित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 17.04.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	117 / 1162 / 13.3.20
17.4.20	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्यों के वायरस सुरक्षा के मध्यनजर (मे) सायलान तलबी पत्रावली दि० 15.6.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
15.6.20	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्यों के वायरस के मध्यनजर (मे) सायलान तलबी पत्रावली दि० 10.9.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10.9.20	वकील सायल उपस्थित गैरसायल न भी उपस्थित नहीं रजिस्टर्ड सम्मन जारी हो बाद पत्रावली दि 2/12/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned with CamScanner

2.12.20 — वकील सायल उपस्थित। सायल उपस्थित नहीं। गैर सायलान की तलबी हेतु रजि. नोटिस आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे। पत्रावली दि० 23.3.21 को पेश हो।

23/3/21 — वकील सायल उपस्थित। गैरसायल की तलबी हेतु आवश्यक तौर से रजिस्टर्ड सम्मन पेश करे। पत्रावली दिनांक 3/5/21 को पेश हो।

18.5.21 — पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्य [illegible] की पत्रावली दि० 23.7.21 को पेश हो।

23/7/21 — वकील सायल उपस्थित। निवेदन किया कि ~~[illegible]~~ प्रार्थनापत्र नहीं चलाना चाहते है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।
सायल पक्ष के द्वारा अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण खारिज किया जाकर के प्रकरण [illegible] 11/3/20 का इन्द्राज निरस्त किया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

[signature] 23.7.2

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner